हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12.07.20 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजि. A.D पूर्व में भेजे जा चुके हैं। जिनकी रजि. A.D की रसीदें पूर्व में ही प्रार्थी वकील द्वारा पेश की जा चुकी है। परंतु अप्रार्थीगण की तरफ से न तो आज तक कोई उपस्थित हुआ व न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ है। आज न्यायालय के समक्ष में अप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील की बहस में प्रार्थी वकील द्वारा बताया गया कि ग्राम जोलिया कलां के खसरा संख्या 473 रकबा 14.7885 हैक्टेयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसके पडोसी खसरान खसरा स. 472 के अप्रार्थीगण, खातेदार काश्तकार है। ख.स. 473 व 472 के मध्य की मांड व सीमा को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद व दखल अंदाजी रहती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खेत खसरा स. 473 की मांड को खुर्द बुर्द कर दी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेत [illegible] है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने [illegible] खसरान में खातेदार काश्तकार होने से [illegible] उपयोग उपभोग के अधिकार प्राप्त है। अतः खसरा स. 472 व 473 ग्राम जोलिया कलां की पैमाइश

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

रा.मु.जो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanch
Date: 2022.09.30 14:35:0
Reason: SelfAttested

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या ....

...of के न्यायालय में भगवानसिंह at पर चैनासिंह

...of Case प्रकरण का प्रकार 111, 128 LR Act 1956

...ber of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
करवाई जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 473 के मुताबिक रोपकर पत्थरगढी करवाई जावे। प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2075-2078 ग्राम नांदिया कलां के अनुसार खसरा संख्या 473 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। एवं प्रार्थीगण अपने स्वयं की खातेदारी भूमि की पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु स्वतंत्र व अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पड़ोसी काश्तकार है। एवं दोनो ही पक्षकारान के मध्य मार्ग को लेकर विवाद रहता है ऐसा प्रार्थीगण की बहस से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी बाद सीमांकन करवाने के अधिकारी है। इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नांदिया कलां के खसरा संख्या 473 का सीमांकन करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही करें। वस्त	अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बावड़ी, जिला जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:35:08 IST
Reason: SelfAttested

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER ....
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	पत्थरगढ़ी करते समय आवश्यकता पडने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद तहसीलदार बावडी प्राप्त करें। आदेश की प्रति संलग्न कर तहसीलदार बावडी को तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनांक 12.07.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (Sd.) उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला–जोधपुर (Seal: उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बावड़ी जिला जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Ra
Date: 2022.09.30 14:35:08 IST
Reason: SelfAttested

धनिक ट्रेडर्स 51 एमजीएच रोड